न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय देहरादून।

माध्यस्थम वाद संख्या – 50 वर्ष 2026

M/s Surat Singh & Sons

V/s

Union of India.

याचिका अन्तर्गत धारा–09 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996

याची अधिवक्ता– श्री वैभव जैन।

<u>दिनांक 28.07.2026</u>

आज यह माध्यस्थम् याचिका याची की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा–9 माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 प्रस्तुत की गयी है।

2. मुंसरिम आख्यानुसार कोर्ट फीस पर्याप्त है तथा याचिका क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत योजित की गयी है। पत्रावली माध्यस्थम वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

3. विपक्षी की ओर से कैविएट योजित किया गया। कैविएट प्रार्थना पत्र संलग्न है। केविएटर/विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता को प्रति प्रदान की गयी।

4. याची की ओर से प्रार्थना पत्र अंतरिम अनुतोष प्रस्तुत किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

5. पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2026 को पेश हो।

(प्रीतु शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
देहरादून।